

प्रपत्र-1

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रांथी से बोरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी०)

प्रतिवेदन

उक्त मोटर मार्ग हेतु शासनादेश संख्या 5150/111 (2) 10 -10 (प्रा०आ०) /2010 दिनांक 16-8-2010 द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रू० 25.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मार्ग का वन भूमि क्षेत्रफल 9 मी० चौड़ाई के अनुसार निकाल कर 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर कुल 0.225 है० एवं मलुवा निस्तारण योजना में प्रभावित भूमि 0.050 है० इस प्रकार कुल 0.275 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। मलुवा निस्तारण योजना भी प्रस्ताव में संलग्न है जिसमें कोई भी बांज वृक्ष प्रभावित नहीं है। इस मार्ग से निम्नलिखित गांव लाभान्वित होंगे।

ग्राम का नाम	जनसंख्या
1 रांथी (बोरागांव)	4873

इस प्रस्ताव में मार्ग के संलग्न बारचार्ट व लैण्ड शैड्यूल के अनुसार निम्न प्रकार की भूमि हस्तान्तरित होनी है।

1 आरक्षित वन भूमि-	प्रभावित नहीं
2 मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि-	0.225 है०
3 मलुवा निस्तारण योजना में प्रभावित भूमि	0.050
4 वन पंचायत भूमि	प्रभावित नहीं।
5 कुल वनभूमि	0.275 है०
6 नाप भूमि	1.575 है०
कुल प्रभावित भूमि	1.850 है०

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव गठित कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु 0.275 है० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।

[Signature]
JG
CD, PWD
As/kote

[Signature]
(2) **अभियन्ता**
पिथौरागढ़ जिला
अस्कोट (पिथौरागढ़)

[Signature]
21 अगस्त 2010

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
मार्ग खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)